

No.FCA/ 6252 /
H.P. Forest Department.

Dated D/Shala, the/ 27 | 2 | 26 /

From: D.F.O. Dharamshala.

To: C.C.F. (T) Dharamshala.

Sub:- Diversion of 1.5358 ha. of Forest Land in favour of HPPWD for the construction of link road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in Distt. Kangra Km 0/0 to 2/561 kms, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, District Kangra, Himachal Pradesh (Online Proposal No:- **FP/HP/ROAD/144563/2021**)-Compliance Reg.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office Chandigarh, Sub-Office Shimla Himachal Pradesh letter No. FC/HPB/06/42/2022 Online proposal no **FP/HP/ROAD/144563/2021** dated 31.10.2023 on the subject cited above vide which the "Stage I Approval" for diversion of 1.5358 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the User Agency has submitted the Compliance Report of conditions of Stage I Approval and amount of NPV and CA stands deposited in respective heads. The point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमांक संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण अथवा वन मंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति / उत्तर
Ai.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 9,55,837/- (Cost of CA) & Rs. 47,792/- (5% Contingency) दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
ii.	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में FCA, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है अतः अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्तावित नहीं किया गया है। यद्यपि यदि भविष्य में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्तावित होना निश्चित होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा और उसका उसकी राशि द्वारा जमा करवाई जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.5358 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 15,43,802 /- online portal के माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/- . Compensatory Afforestation Rs. 9,55,837/- and

		Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- , Total=(15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- online portal के माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/- , Compensatory Afforestation Rs. 9,55,837/- and Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- , Total=(15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- online portal के माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
Bi.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.08 है Survey/Compartment No. UP 196K Baag C-2, Kangra Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 9,55,837/- & Rs. 47,792/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अथवा आवश्यक धनराशि उपलब्धता पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मंडल अधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थल को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
v.	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।	नोडल अधिकारी (State CAMPA) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध कार्यालय करवाया जाएगा।
vi.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
vii.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
viii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एवेन्यू वृक्षारोपण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित करेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxi.	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि अन्य कोई भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जाएगी वो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxv.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

It is therefore, requested that the necessary Final Approval for the diversion of 1.5358 ha of forest land for the construction of above mentioned project may kindly be obtained from the Govt. of India under Forest (Conservation) Act, 1980 and conveyed to this office.


 Divisional Forest Officer,
 Dharamshala Forest Division,
 Dharamshala.



Himachal Pradesh

Public Works Department

No. PWD-Kangra- Forest Case/2025-26-

7811

Dated: 19/2/26

To

Divisional Forest Officer,
Dharamshala Forest Division,
Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Sub:- Diversion of 1.5358 ha. of Forest Land in favour of HPPWD for the construction of link road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in Distt. Kangra Km 0/0 to 2/561 kms, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, District Kangra, Himachal Pradesh (Online Proposal No:- FP/HP/ROAD/144563/2021)-Compliance Reg.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office Chandigarh, Sub-Office Shimla Himachal Pradesh letter No. FC/HPB/06/42/2022 Online proposal no FP/HP/ROAD/144563/2021 dated 31.10.2023 on the subject cited above vide which the "Stage I Approval" for diversion of 1.5358 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV and CA stands deposited in respective head. The Compliance Report to the conditions of 'in-Principal' approval are as under:-

क्रमांक संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति कि शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वीकृति / उत्तर
Ai.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 9,55,837/- (Cost of CA) & Rs. 47,792/- (5% Contingency) दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
ii.	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में FCA, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है अतः अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्तावित नहीं किया गया है। यद्यपि यदि भविष्य में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्तावित होना निश्चित होता है तो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा और उसका उसकी राशि द्वारा जमा करवाई जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 1.5358 हेक्टेयर की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 15,43,802 /- online portal के

	नेट प्रजेक्ट वैल्यु जमा करवाई जाये।	माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/- . Compensatory Afforestation Rs. 9,55,837/- and Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- , Total= (15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- online portal के माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
v.	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/- . Compensatory Afforestation Rs. 9,55,837/- and Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- , Total= (15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- online portal के माध्यम से दिनांक 30.08.2025 को जमा कर दी गई है।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
Bi.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 3.08 हे Survey/Compartment No. UP 196K Baag C-2, Kangra Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 9,55,837/- & Rs. 47,792/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अथवा आवश्यक धनराशि उपलब्धता पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

	भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	
iv.	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मंडल अधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थल को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
v.	नोडल अधिकारी (State CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।	नोडल अधिकारी (State CAMPA) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध कार्यालय करवाया जाएगा।
vi.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
vii.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
viii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
ix.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि एवेन्यू वृक्षारोपण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
x.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xi.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xii.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xiii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xiv.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

xv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि मजदूरों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xvii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xviii.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xx.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxi.	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxii.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxiii.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि अन्य कोई भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जाएगी वो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
xxiv.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

xxv.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is for your kind information and further action.

With Regards,


Executive Engineer,
Kangra Division,
HPPWD Kangra.

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A I

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the Cost of Compensatory Afforestation amounting to Rs. 9,55,837/- and 5% Contingency Rs. 47,792/-, has been deposited in the CAMPA Account.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A II

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that no violation of FCA, 1980 / IFA, 1927 has been done in the instant proposal. It is hereby undertaken, that the Cost of Additional Compensatory Afforestation (ACA) if applicable, will be deposited into the CAMPA Account as demanded by the Forest Department.

Place : Kangra
Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - A III

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the cost of Net Present Value (NPV) amounting to Rs. 15,43,802/- has been deposited in the CAMPA Account.

Place : Kangra
Date : 19-08-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - A IV

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that cost of Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/-, cost of Compensatory Afforestation (CA) Rs. 9,55,837/- and Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- Total = (15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- has been deposited in CAMPA Account through online portal on 30.08.2025.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A V

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Compliance Report of Stage I Approval will be uploaded on e-Portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Place : Kangra
Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A VI

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that cost of Net Present Value (NPV) Rs. 15,43,802/-, cost of Compensatory Afforestation (CA) Rs. 9,55,837/- and Contingency @ 5% on CA Rs. 47,792/- Total = (15,43,802 + 9,55,837 + 47,792) = 25,47,431/- has been deposited in CAMPA Account through online portal on 30.08.2025.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A VII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

"It is hereby submitted that no proposal under this division is pending for submission of compliance report of Stage I Approval"

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - A VIII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Department will abide by the conditions of the FRA, 2006 as per Certificate issued by the District Collector.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B I

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the legal status of the forest land will not be changed.

Place : Kangra

Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B II

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that no felling of trees is involved in the Proposal.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B III

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that CA will be done in 3.08 Ha. in UP 196K Baag C-2, Kangra Forest Range, Dharamshala Forest Deivision and the Cost of Compensatory Afforestation amounting to Rs. 9,55,837/- and 5% Contingency Rs. 47,792/-, has been deposited in the CAMPA Account. It is submitted that Plantation activities will be done within the period of one year from the date of approval subject to availability of funds. It is further submitted that native species will be planted and monoculture on any species will not be done.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B IV

It is hereby undertaken that, the CA Area proposed for Carrying out Compensatory Afforestation i.e. Survey/Compartment No. UP 196K Baag C-2, Kangra Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh will not be changed without the prior approval of the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Place : Dharamshala
Date : 27-02-2026



Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B V

It is hereby submitted that the disbursement of budget shall be ensured from the Nodal Officer (State CAMPA) as per Compensatory Afforestation Scheme submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change to be undertaken in 3.08 Ha. degraded forest land Survey/Compartment No. UP 196K Baag C-2, Kangra Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.

Place : Dharamshala

Date : 27-07-2021



Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B VI

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby submitted that the KML Files of the degraded forest land proposed for Compensatory Afforestation will be uploaded on E-green portal before issuing working permission / handing over the diverted land to the User Agency and is acceptable to us.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B VII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the forest land will be used for the purpose specified in the proposal and no other activity shall be undertaken on the diverted land.

Place : Kangra
Date : 19-07-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B VIII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the cost of additional amount of NPV, if so determined as per decision of the Hon'ble Supreme Court shall be paid by the Department.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B IX

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that Plantation will be done on both sides of the road as per IRC Standards at our own cost.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B X

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the diverted forest land will not be transferred to any other Agency / Department or Person without prior Approval of Central Government.

Place : Kangra
Date : 19-07-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala


DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XI

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Layout Plan will not be changed without prior Approval / Permission of Central Government.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no labour camps will be established / installed on forest land.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that necessary Soil Conservation methods will be undertaken and the Cost to execute such works as per prevailing rates will be provided by the Department.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIV

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that no alternate road will be constructed for carriage of material in the forest land during the execution of the proposal.

Place : Kangra
Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala


DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XV

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that fuelwood from Forest Corporation or any other legal source, especially alternate fuel will be provided to the labour and official staff.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XVI

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Department will abide by the Plan prepared by the State Chief Wild Life Conservator for conservation of forest and Wild life of the proposed area and provide the cost for undertaking such activities as demanded by the Forest Department.

Place : Kangra

Date : 19-02-2024


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B XVII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that RCC Pillars of 4 feet height will be installed at the boundary of diverted forest land under the supervision of Forest Department with Forward / Backward bearing at our own cost.

Place : Kangra
Date : 19.07.2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021


UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XVIII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that Speed Control Signs will be installed at certain distances on the proposed road.

Place : Kangra

Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :



Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)
FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021
DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIX

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that Overpass / Underpass will be provided by the Department as suggested by CWLW / NBWL / FAC / REC in the forest land.

Place : Kangra
Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XX

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that approval will be taken as per Provisions of Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXI

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that muck will be disposed-off in planned manner and dumped in the Dumping Sites proposed for muck disposal and no muck shall be dumped in the forest land or rolled down the hillside.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the total period of diversion will be treated as the period of Diversion as per the proposal submitted online or period of lease in favour of the User Agency, whichever is less and fresh proposal will be submitted to the Central Government after completion of such period.

Place : Kangra

Date : 19-02-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXIII

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Department will abide by all the conditions imposed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change from time to time for the protection and development of Forest and Wildlife.

Place : Kangra
Date : 19-01-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXIV

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that if any provisions of related Act / Article / Rule / Court Order / Instruction are applicable to this proposal, necessary NOC / Permission will be taken by the Department.

Place : Kangra

Date : 19-01-2026


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala

DIVERSION OF 1.5358 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM RAH TO SANGAM via BHANYARKAR IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

FILE NO. : FP/HP/ROAD/144563/2021

DATE OF PROPOSAL : 16.07.2021

UNDERTAKING AS PER CLAUSE - B XXV

It is to certify that I, Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD Kangra, District Kangra (H.P.) - 176001, have applied for diversion of 1.5358 Ha. of forest land for the construction of Link Road from Rah to Sangam via Bhanyarkar in District Kangra (H.P.).

It is hereby undertaken that the Department will abide by all the conditions of the "In-Principle Approval" and no violation of Forest (Conservation) Act, 1980 will be done during the execution of the Project.

Place : Kangra

Date : 19-02-2021


Executive Engineer
Kangra Division
HPPWD, Kangra

Countersigned by :


Divisional Forest Officer
Dharamshala Forest Division
Dharamshala